भारत सरकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

ईंधन पुनर्संसाधन प्रभाग

नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग

ट्रांबे, मुंबई- 400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं. **बीएआरसी/एफआरडी/ईटी/6/2024-25 दिनांक 18/03/2025**

i. **निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे**

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य अभियंता, नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400 085 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'– वित्तीय बोली) में **ई-निविदाकरण** के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हो तथा जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।

(i)	कार्य का नाम	**एफआरडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई- 400 085 में वर्ष 2025-2026 के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधियों और औद्योगिक सफाई कार्यों में तकनीकी सहायता।**
(ii)	अनुमानित लागत	**₹ 2,19,35,908.00/- + जीएसटी यथा लागू**
(iii)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	**₹ 5,17,688.00/-**
टिप्पणी : बयाना राशि को, वरीयत: सावधि जमा रसीद, डिमान्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक/ पे ऑर्डर की मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा यह किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी तथा **लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई** के नाम से होना चाहिए। **बयाना राशि जमा के लिए चैक/ नकद स्वीकार नहीं किए जाएंगे।** बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना राशि का कम से कम 50% अथवा **रु. 20.00 लाख**, जो भी कम हो, उक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए तथा शेष राशि निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। बयाना राशि जमा के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी निविदा के प्रस्तुतिकरण की तारीख से छह महीने या इससे अधिक समय के लिए वैध रहेगी। बोली के साथ जमा की गई बयाना राशि को निष्पादन गारंटी (पुष्टिकरण के पश्चात) प्राप्त करने के पश्चात लौटा दिया जाएगा।		

ईएमडी छूट: ईएमडी छूट चाहने वाले बोलीदाता को बोली के साथ GeM GTC के अनुसार संबंधित श्रेणी के लिए वैध सहायक दस्तावेज जमा करना होगा। एमएसई श्रेणी के तहत, केवल वस्तुओं के लिए निर्माता और सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ही ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/		
iv)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	:**शून्य ।**
(v)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	: **शून्य ।**
(vi)	समाप्ति की अवधि	**: 547 (पांच सौ सैंतालीस)** कैलेन्डर माह (मानसून की अवधि सहित)
(vii)	निविदा दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिए उसकी उपलब्धता की तारीख	: https://gem.gov.in वेबसाइट पर **दिनांक 21/03/2025 से दिनांक 11/04/2025 तक। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।**
(viii)	बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख	ठेकेदारोंसे अनुरोधहैकिदिनांक **03/04/2025** तकई-मेलद्वाराअपनीबोली-पूर्वशंकाएंभेजें। बोलीपूर्वबैठकस्थलदौरेकेसाथदिनांक **03/04/2025 (11.30 बजे)** कोआयोजितकीजाएगी। सभी ठेकेदारों को बोली-पूर्वस्पष्टीकरण (यदिकोईहोतो) दिनांक **03/04/2025** कोअपलोडकिएजाएंगे।
(ix)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की आरंभिक तारीख	**21/03/2025**
(x)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख एवं समय	**11/04/2025**
(xi)	ईएमडी के प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम तारीख	दिनांक **11/04/2025** तक या उससे पहले ट्रांबे, मुंबई 400 085 स्थित भापअ केंद्र के एफआरडी के अध्यक्ष (अथवा उनके प्रतिनिधि) के पास नॉर्थ गेट पर जमा किया जाएगा। मूल दस्तावेजों को वरीयत: व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करें। तथापि, डाक अथवा कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा यदि वे निर्धारित तारीख एवं समय के भीतर प्राप्त हो जाते हैं ।
(xii)	भाग 'क' ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय	**11/04/2025**
(xiii)	पात्र बोलीकर्ताओं के भाग-ख खोलने की तारीख	बाद में वेबसाइट https://gem.gov.in पर सूचित की जाएगी ।

ii. **<u>प्रारंभिक पात्रता मानदंड</u>**

2.

i. बोलीकर्ता को, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीकर्ता को, बोली के साथ, विषयक निविदा द्वारा उपलब्ध करवायी जानेवाली सामग्री के .....% स्थानीय उत्पाद हेतु वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

ii. सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 में यथा परिभाषित केवल 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता ' विषयक निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

iii. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(क) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक का बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट न्यूनतम ₹103.54 लाख का होना चाहिए तथा निविदा खुलने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(ख) बोलीदाता का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार **31 मार्च 2024** को समाप्त होने वाले तत्काल पिछले 3 लगातार लेखापरीक्षित वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 258.84 लाख होना चाहिए। इसे पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट किया जाना चाहिए और इसके पास अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) भी होनी चाहिए।

(ग) 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले पांच लेखापरीक्षित वित्तीय वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक में कोई नुकसान नहीं हुआ होना चाहिए। केवल पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस पात्रता के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

(घ) समान कार्यों के अनुभव के रूप में उल्लिखित सभी पूर्ण किए गए समान कार्यों का निष्पादन प्रमाण पत्र।

(ङ) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(च) स्थायी खाता संख्या (पैन)

3. बोलीकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए होने चाहिए (निष्पादित किए गए कार्यों के ग्राहक द्वारा जारी निष्पादन प्रमाणपत्र के आधार पर)

i. कम से कम प्रत्येक रु. **103.54** लाख की लागत के समान 3 (तीन) कार्य या

ii. कम से कम प्रत्येक रु. **155.31** लाख की लागत के समान 2 (दो) कार्य या

iii. निविदा आमंत्रित किए जाने के पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त हो रहे अंतिम 7 (सात) वर्षों के दौरान कम से कम रु. **207.07** लाख मूल्य का 1 (एक) समान कार्य तथा निविदाओं के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख के पिछले दिन को समाप्त पूर्ण कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। यदि पात्र समान कार्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकाय में नही किए गए हैं तो बोलीकर्ता को इसके लिए टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें नि:शुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। समान कार्य का तात्पर्य है **" रेडियोधर्मी संयंत्रों और उनकी सुविधाओं का संचालन और रखरखाव। फर्म के पास परमाणु संयंत्रों/सुविधाओं में रेडियोधर्मी कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह के कार्य भारत में निष्पादित किए जाने चाहिए।" .** बोलीकर्ता (Firm) के पास परमाणु संयंत्रों/सुविधाओं में रेडियोधर्मी कार्य अनुभव होना चाहिए |

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन, कार्य पूर्ण किए जाने की तारीख से निविदाओं की बिक्रि की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।

5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता का हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा

बोली क्षमता = [A x N x 2] - B

जहां

A = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर अधिकतम मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।

N = जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्या।

B = विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य।

6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए। संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।

iii. **सूचना :**

7. निविदा दस्तावेज दो भागों में अर्थात भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी वाणिज्यिक बोली है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'क'- (विभाग द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट- 'क' बोली प्रतिभूति (बैंक गारंटी), परिशिष्ट- 'ख', निष्पादन प्रतिभूति के लिए बीजी बोंड का प्रपत्र, अनुलग्नक 'क'-कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण, अनुलग्नक 'ख'- भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित विनिर्माता की सूची तथा अनुसूची 'क' से 'च' का प्रोफार्मा। भाग 'ख' (कीमत बोली) में अनुसूची 'ख'-प्रमात्राओं की अनुसूची है। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद, उक्त सभी दस्तावेज करार के एक भाग के रूप में शामिल होंगे।

मानक दस्तावेजों की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्यजन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट www.barc.gov.in☛Tenders and NITs☛Other Information से नि:शुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं।

iv. **GeM पोर्टल वेबसाइट में ई-टेंडरिंग भागीदारी के लिए दिशानिर्देश:**

(क) पंजीकरण

(i) बोलीकर्ताओं को GeM पोर्टल पर लिंक (URL:https://gem.gov.in) के ई-प्रापण माड्यूल पर स्वयं को नामांकित करना होगा। यह सुविधा निशु:ल्क है।

(ii) नामांकन प्रकियाके एक भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट यूजर नेम का चयन करना होगा तथा अपने एकाउन्ट के लिए एक पासवर्ड निर्मित करना होगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रकिया के एक भाग के रूप में अपना वैध ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। भविष्य में GeM पोर्टल से किसी भी सूचना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

(vi) तत्पश्चात बोलीकर्ता अपना प्रयोक्ता आईडी/ पासवर्ड टाइप करते हुए सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से वेबसाइट पर लॉग कर सकते हैं।

(ख) निविदा दस्तावेजों की खोज

(i) विविध मानकों के अनुसार से सक्रिय निविदाओं की खोज में बोलीकर्ताओं की सहायता के लिए GeM पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मानकों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य इत्यादि शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तिथि अन्य की-वर्ड इत्यादि को लेते हुए GeM पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।

(ii) जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुचि है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा समय-सारणी डाउनलोड कर सकते हैं।

(iii) बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर लें ताकि हेल्पडेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।

(ग) बोलियों की तैयारी

(i) बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रकाशित शुद्धिपत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

(ii) कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम एवं विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें। उक्त बिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

(iii) बोलीकर्ताओं को निविदा दस्तावेज/ समय सारणी में यथावर्णित,प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यत: ये दस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/ JPG फार्मेट में हो बोली दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन कर लिए जाएं ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके।

(घ) बोलियों की प्रस्तुति

(i) बोलियां GeM वेबसाइट https://gem.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।

(ii) बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सकें। अन्य कारणों से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।

(iii) निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेजों पर एक-एक करके उन्हें अपलोड करना होगा।

(iv) यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा।

(v) बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुति की

अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(vi) एजेंसी को, कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना है और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हों) को ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(vii) बोलीकर्ता कृपया ध्यान दें कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करें तथा अन्य कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज सहित मानक BoQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ताओं को BoQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानों (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(viii) निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज अपलोड कर लें ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा।

(ix) बोली दस्तावेजों को ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेजों का साइज कम हो सके हो।

(x) बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियों की प्रस्तुति के हेतु, बोलियों के खुलने आदि के लिए निर्धारित समय के संदर्भ के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है।) को मानक समय माना जाएगा। बोली प्रस्तुति के दौरान बोलीकर्ता को इसी समय का पालन करना चाहिए।

(xi) नियत तिथि एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

(xii) इच्छुक बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें ताकि वे, शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/ आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्यतित रहें।

(ङ) बोलीकर्ताओं की सहायता हेतु : -

i) निविदा दस्तावेज एवं उसमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित कोई भी पूछताछ उस निविदा के, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए।

ii) बोली की ऑनलाइन प्रस्तुति की प्रक्रिया से संबंधित पूछताछ या सामान्यत: GeM पोर्टल से संबंधित पूछताछ 24x7 पोर्टल हेल्पडेस्क को प्रेषित की जा सकती है।

शर्तें:

8. लिफाफा-1 खोलने के बाद, निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी मुख्य रूप से निम्नलिखित के आधार पर निविदाकर्ताओं की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन दल का गठन कर सकता है।

   क) वित्तीय क्षमता अर्थात बैंक सॉल्वेंसी।

   ख) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्नओवर।

   ग) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।

   घ) समान कार्यों का सफलतापूर्वक समापन और गुणवत्ता।

   ङ) बोलीदाता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी अधिकारियों के साथ पंजीकरण।

   च) निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक - 4 के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में संबंधित दस्तावेजों के साथ यदि कोई हो।

   बोलीदाताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टि के लिए विभाग द्वारा GeM द्वारा अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज़ मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज़ों को पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक दस्तावेज़ अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकार की जा सकती है।

9. विभाग बोलीदाता की कार्य करने की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा तथा आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा।

   क) विषयगत कार्य के आलोक में कंपनी की तकनीकी क्षमताएँ।

   ख) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति।

   ग) कंपनी की संगठनात्मक संरचना।

   घ) विषयगत कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन।

   ङ) समय और गुणवत्ता के प्रति सजगता।

   च) बाहरी दावे और विवाद करने के संबंध में कंपनी की प्रवृत्ति।

   छ) साइट नियोजन क्षमता।

   ज) कंपनी द्वारा बैक टू बैक / सबलेटिंग पर काम देने की प्रवृत्ति।

10. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, सफल बोलीदाता को कार्य सौंपने से पहले BARC के सुरक्षा अनुभाग द्वारा कार्य की जांच की जाएगी।

11. लिफाफा-1 खोलने के बाद निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।

12. सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त वाली निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। हालांकि, बिना शर्त छूट वाली निविदाएं स्वीकार की जाएंगी।

13. <u>बोलीदाताओं को BARC/DAE की निविदाओं में भाग लेने से रोकना:</u>

    i. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी बाद में गलत पाई जाती है, तो उन्हें BARC में निविदा देने/कार्य करने से वंचित किया जा सकता है। साथ ही, यदि प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने से पहले BARC के संज्ञान में ऐसा कोई उल्लंघन आता है, तो BARC निषेध के साथ-साथ EMD की पूरी राशि जब्त कर लेगा। यदि प्रदर्शन सुरक्षा जमा

करने के बाद विभाग के संज्ञान में ऐसा कोई उल्लंघन आता है, तो BARC निषेध के साथ-साथ प्रदर्शन गारंटी, EMD (यदि जारी नहीं की गई है) की पूरी राशि जब्त कर लेगा।

ii. यदि BARC के सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि बोलीदाता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0] और / या कार्यों की खरीद मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022] के अंतर्गत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बनाया है, तो बोलीदाता / ठेकेदार को BARC / DAE में किसी भी खरीद / निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा, जैसा कि BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया है; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/divisions/manual purchase-consultancy-other-services]। इस संबंध में BARC के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

iii. बोलीदाताओं को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को खराब प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। BARC का सक्षम प्राधिकारी मामले की समीक्षा करेगा और निर्णय लेगा कि बोली लगाने पर प्रतिबंध वर्तमान कार्य के लिए लागू है या नहीं।

14. कार्य करने के लिए स्वीकृत समय की गणना सामान्यतः कार्य शुरू करने के लिखित आदेश की तिथि के 15वें दिन से या साइट सौंपे जाने के पहले दिन से की जाएगी, जो भी बाद में हो, निविदा दस्तावेजों में दर्शाए गए चरणबद्ध तरीके के अनुसार। कार्य सौंपे जाने के दौरान कार्य शुरू करने की तिथि में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी सूचना कार्य आदेश में दी जाएगी।

15. निविदाएं ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि से **180 (एक सौ अस्सी)** दिनों के लिए वैध रखी जाएंगी।

16. यदि भौतिक रूप में **"ईएमडी"** प्राप्त करने और निविदा खोलने की अंतिम तिथि अवकाश के दिन आती है या अवकाश घोषित की जाती है, तो संबंधित तिथियों को अगले कार्य दिवस की तारीख तक स्थगित माना जाएगा।

17. बयाना राशि भौतिक रूप में किसी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / पे ऑर्डर के रूप में जमा की जानी चाहिए, जो **"लेखा अधिकारी", BARC, मुंबई के पक्ष में बैंक विवरण (यदि आवश्यक हो) के साथ जारी की गई हो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BARC, ट्रॉम्बे शाखा, IFSC: SBIN0001268** बयाना राशि का एक हिस्सा बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना राशि का न्यूनतम 50% या रु। 20.00 लाख, जो भी कम हो, ऊपर निर्धारित फॉर्म में होगा और शेष राशि निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। इसके अलावा, ईएमडी की हार्ड कॉपी की रसीद क्रमांक 1 में दिए गए पूर्वोक्त स्थान पर, कार्य का नाम और एनआईटी नंबर का उल्लेख करते हुए, सीलबंद, सुपरस्क्राइब लिफाफे में जमा की जानी चाहिए।

इसके अलावा, भौतिक रूप में ईएमडी को अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए। इसे उत्तरी द्वार या किसी अन्य स्थान पर ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। डाक या कूरियर द्वारा प्रेषण पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि डिलीवरी क्रम संख्या 1 में दिए गए पते पर नियत तिथि और समय के भीतर प्राप्त हो। ईएमडी जमा करना अनिवार्य है। यदि

संबंधित बोलीदाता की अनुशंसित भौतिक रूप में ईएमडी नियत तिथि और समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो बोली नहीं खोली जाएगी।

18. जिस बोलीदाता की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे BARC द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOA प्राप्त होने के बाद, बोलीदाता को अनुबंध के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और BARC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार किए जाने के बाद, बोलीदाता को कार्य आदेश दिया जाएगा। प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए स्वीकृत समय स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन होगा। इस अवधि को बोलीदाता के लिखित अनुरोध पर E-I-C द्वारा प्रदर्शन गारंटी राशि के प्रति दिन @ 0.1% विलंब शुल्क के साथ अधिकतम 1 से 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा ₹ 1.00 लाख से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदें या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो L1 बोलीदाता की बयाना राशि (EMD) प्रदर्शन सुरक्षा जमा की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी / वापस कर दी जाएगी। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो एल1 बोलीदाता की ईएमडी BARC द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी / वापस कर दी जाएगी। एल2 और अन्य बोलीदाताओं की ईएमडी BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी / वापस कर दी जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीदाताओं की ईएमडी GeM पोर्टल में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

19. बोलीदाता को अपने अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के रूप में प्रस्तुत करना होगा, यह राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (दो-बिंदु पाँच प्रतिशत) होगी। सुरक्षा जमा बोलीदाता के चालू बिल की सकल राशि का 2.5% घटाकर तब तक एकत्र किया जाएगा जब तक कि वसूल की गई कुल सुरक्षा जमा राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% न हो जाए। सुरक्षा जमा सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा रसीदों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इन्हें **लेखा अधिकारी, BARC, मुंबई** के पक्ष में पृष्ठांकित किया जाएगा।

20. यदि सफल निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथियों पर या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो BARC किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, मौजूदा GFRs के अनुसार EMD जब्त करने और आगे की निषेध प्रक्रिया का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

21. निविदा की स्वीकृति उस विभाग के पास होगी जो सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सभी निविदाएं जिनमें किसी भी तरह से निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है या अपूर्ण हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

22. निविदाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा प्रचार-प्रसार का सहारा लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

23. निविदा स्वीकृत होने पर, बोलीदाता के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि(यों) का नाम, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, प्रभारी अभियंता को सूचित किया जाएगा।

24. विभाग निविदा के सम्पूर्ण भाग अथवा केवल भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

25.

i. जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा कर – केन्द्रीय, राज्य एवं अंतरराज्यीय।

ii. अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरों में जीएसटी शामिल नहीं होगा, लेकिन निविदा प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि पर लागू सभी अन्य कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे, जिसमें विस्तार "यदि कोई हो" भी शामिल होगा।

iii. इस कार्य अनुबंध पर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित जीएसटी की प्रतिपूर्ति BARC द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतान नीचे दिए गए खंड के अनुसार प्रतिपूर्ति किए जाएंगे। इस अनुबंध के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, शुल्क बोलीदाता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी।

iv. बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी के अनुरूप हैं और उनके द्वारा उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी कानून के अनुसार हैं।

v. जीएसटी पर 2% टीडीएस, किए गए कार्य के सकल मूल्य का 1% श्रम कल्याण उपकर बोलीदाता को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से वसूल किया जाएगा।

vi. बोलीदाता को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से आयकर एवं उपकर (लागू होने पर) काट लिया जाएगा।

vii. बोलीदाता को ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत पंजीकृत होना चाहिए और कानून के अनुसार होना चाहिए। बोलीदाता को अनुबंध कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान संबंधित विभाग को करना होगा और यह संतुष्ट होने के बाद कि बोलीदाता ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वास्तव में भुगतान किया है, BARC द्वारा उसे इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। बोलीदाता अपनी दरों में ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।

बोलीदाता को सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/श्रमिकों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ नियमित रूप से दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

viii. सरकारी निर्देशानुसार किसी भी अन्य कर/उपकर की कटौती समय-समय पर बोलीदाता को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से की जाएगी।

26. यदि कोई भी निविदाकर्ता वैधता अवधि के भीतर और कार्य दिए जाने से पहले, जो भी पहले हो, अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों और नियमों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो BARC किसी भी अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, बयाना जमा राशि का 50% (पचास प्रतिशत) जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

इसके अलावा, बोलीदाता को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद, बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए समय-सारणी और नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करना होगा, जो अनुबंध का हिस्सा होगा।

28. 28. सफल बोलीदाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अपने सभी कर्मचारियों अर्थात इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों और मजदूरों के लिए BARC परिसर में काम करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर पुलिस की विशेष शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना होगा और उसी के अनुसार बोली लगानी होगी। पीवीसी तीन साल के लिए वैध होगा।

सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप बोलीदाता/कंपनी/फर्म/मालिक और/या उसके अनुबंध कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती टिप्पणी/अधिसूचना की प्राप्ति के मामले में, BARC बिना कारण बताए/कारण बताओ नोटिस दिए अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में बोलीदाता को BARC द्वारा शुरू की गई उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान/देयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। BARC समय-समय पर DAE/BARC द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करने में बोलीदाता की ओर से विफल रहने पर सरकार के कब्जे में आंशिक/पूर्ण प्रदर्शन सुरक्षा और/या सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

निर्देश:

29. बोलीदाता को https://gem.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए। जो बोलीदाता ऊपर बताई गई वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

30. इच्छुक बोलीदाता के पास खरीद के लिए अनुरोध/निविदा दस्तावेज़ (एक्सेल/वर्ड प्रारूप) डाउनलोड करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। बोली केवल सावधि जमा रसीदों और या किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के विवरण के साथ बयाना राशि जमा करने और निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ प्रदान करने के बाद ही प्रस्तुत/अपलोड की जानी चाहिए।

31. निविदाएं ऊपर एनआईटी विवरण में उल्लिखित समय और तिथि तक ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। कवर-1 को ऊपर एनआईटी विवरण में उल्लिखित समय और तिथि पर खोला जाएगा। कवर-1 के खुलने के बाद, मूल्यांकन के लिए, बोलीदाता के तकनीकी-वाणिज्यिक बोली से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। योग्य निविदाकारों की कवर-2 (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तिथि और समय पर खोला जाएगा। कवर-2 (वित्तीय बोली) के खुलने की तिथि सभी बोलीदाताओं को GeM पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएगी।

32. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप https://gem.gov.in पर इस निविदा दस्तावेज के साथ BOQ_XXXX.xls के रूप में प्रदान किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BOQ_XXXX.xls को डाउनलोड करें और अनुमत कॉलम में अपनी पेशकश/दरें उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। **बोलीदाता किसी भी तरह से डाउनलोड की गई मूल्य बोली टेम्पलेट से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा**। यदि यह किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधित पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी।

33. बोली खुलने की तिथि पर बोलीदाता लॉगइन कर सकता है और बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकता है।

34. 34. बोलीदाता को प्रत्येक वस्तु की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करना चाहिए। अंकों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम आसमानी नीले रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी दिखाई देती है कि ऐसे सभी सेल को **अनिवार्य रूप से किसी भी मान से भरें, जिसमें "0" (शून्य) भी शामिल है।**

नोट: संभावित एजेंसियों को निविदा प्रस्तुत करने से पहले एनआईटी के सभी मानदंडों को पूरा करने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा। विभाग निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाली एजेंसियों की निविदा पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

35. पात्र स्रोत देश:

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश के बोलीदाता को सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक खरीद संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक खरीद संख्या 2) का अनुपालन करना होगा, जो कि एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के अनुसार है। साथ ही, बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के 'परिशिष्ट-एफ' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। यदि बोली प्रस्तुत करने के समय या अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी भी समय ऐसी घोषणा या प्रमाण पत्र गलत या गलत पाया जाता है, तो उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही भारत के संबंधित कानून के तहत ऐसी अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

36. यह निविदा एक कार्य अनुबंध है, इसलिए जून 2022 में अद्यतन कार्यों की खरीद के मैनुअल के अनुसार इस निविदा के लिए एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट लागू नहीं है।

37. बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर मूल से स्कैन करके अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i. कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ सीए द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर।

ii. कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ सीए द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण।

iii. नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र।

iv. निर्माण संयंत्रों और मशीनरी की सूची "यदि इस कार्य के लिए लागू हो"

v. तकनीकी कर्मचारियों की सूची

vi. प्रमाणपत्र:

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो

(ख) कार्य अनुभव प्रमाण पत्र / प्रदर्शन प्रमाण पत्र

(ग) जीएसटी हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(घ) पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण

(ङ) ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र

vii. यह वचनबद्धता कि पात्र समान कार्य किसी अन्य बोलीदाता के माध्यम से लगातार नहीं कराया गया है।

viii. अनुबंध की सामान्य शर्तों के कवर-1: अनुभाग II और खंड 11 के अनुसार वचनबद्धता।

ix. पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) वह एजेंसी जिसके लिए कार्य किया गया, ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य पूरा होने का निर्धारित और वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से प्राप्त पात्र समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र दर्शाए गए हों।

x. हाथ में मौजूद कार्यों की सूची जिसमें दर्शाया गया हो: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य iii) कार्य पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।

xi. वचनबद्धता/घोषणाएँ - अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4 तक

xii. किसी भी क्लाइंट फर्म द्वारा बोलीदाता के खराब प्रदर्शन के कारण निषेध/काली सूची में डाले जाने/समाप्त किए जाने के अवसरों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो शून्य सूची संलग्न की जानी चाहिए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने पुष्टि की है कि उन्हें ऐसे किसी प्रतिकूल अवसर का सामना नहीं करना पड़ा है।

xiii. इस कार्य के लिए बयाना राशि जमा (ईएमडी)।

नोट: तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज छूट गया हो, या अतिरिक्त/प्रतिस्थापन दस्तावेज मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

38. बोलीदाता को निम्नलिखित को सभी दृष्टि से पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक है:

(क) भाग - 'ए': ईएमडी के साथ तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

(ख) कार्य के लिए प्रस्तावित जनशक्ति और मशीनरी (अनुलग्नक 'ए') ("जैसा लागू हो")

(ग) भाग-'बी': वित्तीय बोली (अनुसूची-'बी')

39. ई-बैंक गारंटी (ई-बीजी) भी बैंक गारंटी के स्थान पर स्वीकार्य और पसंद की जाती है।

टिप्पणी:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु https://gem.gov.in वेबसाइट देख सकती हैं।
2. निविदा दस्तावेज से संबंधित सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क **(022) 69293101/ 69293102/ 69295523**
3. ई निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क करें:
   a) GeM पोर्टल हेल्पडेस्क
   b) ईमेल: helpdesk-gem@gov.in
4. स्थल दौरा/बोली पूर्व पूछताछ (यदि कोई है) हेतु अनुरोध भेजने के लिए ई-मेल पता । जो बोलीकर्ता स्थल का दौरा करना चाहते है उन्हें पूर्वानुमोदन सहित निम्नलिखित ई-मेल पते पर आगंतुक का नाम, उसका आई-डी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी यथा आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स तथा फर्म का पता संबंधी विवरण प्रेषित करना होगा। भापअ केंद्र में प्रवेश के समय आगंतुक को आईडी की मूल प्रति साथ लेकर आनी होगी ।

5. साइट विजिट / निविदा दस्तावेजों से संबंधित स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ईमेल आईडी

   प्रति - nkraju@barc.gov.in

   प्रतिलिपि- ftqureshi@barc.gov.in, shindesp@barc.gov.in

   कृपया नोट करें कि भापअ केंद्र में प्रवेश के लिए फोटो-पहचान (पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान पत्र,नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र,आदि) की आवश्यकता होगी । बोलीकर्ता द्वारा फोन नं. **69293101/ 69293102/ 69295523** पर संपर्क करके पूर्व अनुमति लेना जरूरी है ताकि भापअ केंद्र में प्रवेश हेतु व्यवस्था की जा सके ।

6. **यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही मानाजाए ।**

निदेशक
नाभिकीय पुनचक्रण: वर्ग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

अनुलग्नक-1

निविदा सवीकृति पत्र

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएं।)

दिनांक :

प्रति,
मुख्य अभियंता
ईंधन पुनर्संसाधन प्रभाग
नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई- 400 085

विषय : **निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।**
निविदा संदर्भ सं. बीएआरसी/एफआरडी/ईटी/6/2024-25 दिनांक 18/03/2025

निविदा/ कार्य का नाम : - एफआरडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई- 400 085 में वर्ष 2025-2026 के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधियों और औद्योगिक सफाई कार्यों में तकनीकी सहायता।

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) https://gem.gov.in और www.barc.gov .in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।

2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने भापअ केंद्र की वेबसाइट http://barc.gov.in/tenders/ पर अन्य सूचना आदि खंड के तहत उपलब्ध निविदा दस्तावेजों (डब्ल्यूएमडी निविदा दस्तावेज, अनुलग्नक/अनुलग्नकों, अनुसूची/ अनुसूचियों, शुद्धिपत्र, नागरिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश, निर्माण कार्य संविदा इत्यादि हेतु निर्माण कार्य संरक्षा नियमावली आदि सहित) के संपूर्ण निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है।), जो संविदा करार का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित निबंधनों/शर्तों/खंडों का पालन करूंगा/ करेंगे ।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम एतद द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/दस्तावेजों / शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं /करते हैं ।

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। ।

6. मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य और सही है और यदि सूचना गलत/असत्य या उल्लंघन के रूप में पाई जाती है, तो आपका विभाग/संगठन बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, या किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोली-प्रतिभूति घोषणा फॉर्म-अनुलग्नक 1 के अनुसार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सहित, बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दें या करार को समाप्त कर दें।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-2

कंपनी के पत्र शीर्ष पर दिया जाए

जिस किसी से संबंधित हो

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचनबंध

तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _____ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से _____ [इकाई का नाम] पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूं (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं/हैं।

2. मैं/हम इसके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - **हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)**

4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:

मैं/हम, _____ जिनके पास पैन _____ है, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा 206 एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेज़ों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष)	आयकर रिटर्न फाइल करने की तिथि	आईटीआर पावती संख्या
1	2022-23 / (2023-24)		
2	2023-24 / (2024-25)		

5.मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से_____

<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>

<< पदनाम >> संस्था का नाम:

अनुलग्नक-3

फर्मों/एजेंसियों द्वारा जीएसटी वचनबंध
(कंपनी के पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

प्रिय महोदय,

1.**मैं/हम बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप हैं।**

2. **जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला बीएआरसी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।**

3. **बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट बीएआरसी को दे दिए गए हैं।**

स्थान:

तिथि:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-4

बोलीदाता द्वारा स्थानीय सामग्री प्रमाणन

निम्नलिखित घोषणापत्र बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाए

निविदा/कार्य का नाम:

प्रिय महोदय,

बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्नानुसार वचनबद्ध है :
"हम _____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या _____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार 'श्रेणी I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हेतु अर्हक होने की अनिवार्य 'स्थानीय सामग्री' (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत _____% है। "

बोली लगाने वाले के प्राधिकृत दिनांकित हस्ताक्षर

परिशिष्ट – एफ

पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का फार्म

(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है।)

मैने/हमने, ……. (बोलीकर्ता का नाम) ……., भारत के साथ भूमि सीमा साझा करनेवाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंडों को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हूं/हैं अथवा ऐसे देश से हूं/हैं (देश का नाम लिखें .....), सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से पंजीकृत किए जाने के प्रमाण स्वरूप इसके साथ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं।".

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहा हूं/रहे हैं तथा एनआईटी खंडों के अनुसरण में, विचारार्थ पात्र है।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोली में इस प्रकार का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में, यदि बोलीकर्ता उक्त ऊपर उल्लेख किए गए देश से है, तो नियोक्ता बोलीकर्ता को अयोग्य मानेंगे।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकारी को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता की गलत घोषणा या गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्रतिभागिता समाप्त कर सकते हैं तथा वे कानून के अधीन यथा अनुमेय कार्रवाई कर सकते हैं।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर